अशोक कुमार बोथरा स्टाम्प विक्रेता
बाड़मेर मो. : 9460540417

2019/00298

सरबरक

101

23.7.21

(कायदा 129)

(General Rules (Civil) 129, Appendix 'B' Form No. 6)

18/03/20
05/05/20
11/8/20
18/11/20
04/03/21
08/04/21
18/06/21
23/07/21

1. नाम अदालत उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

2. किस्म मुकदमा 136 RLR Act राजस्व अपील एक्ट

3. अनवान मुकदमा नारायणराम बनाम तहसीलदार बाड़मेर

4. नम्बर व सन् मुकदमा 385/19

5. तारीख दायरा 20.9.19

6. तारीख फैसला 23.7.21

7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

8. अपील या निगरानी की तारीख का फैसला

9. किस्म मिसल या हिस्सा

10. किस्म रेकर्ड

11. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया

14. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 385 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 नारायणराम 2 मोतीराम पिसरान गेनाराम जाति माली निवारी प्रभूओणी मालियों का वास, कुडला तहसील व जिला बाड़मेर।		1 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री डूंगरसिंह महेचा वकील प्रार्थीगण।
2 तहसीलदार बाड़मेर।

आदेश

दिनांक 23.7.21

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार मण्डल कुडला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 730 / 565 रकबा 04.18 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 730 / 565 रकबा 05.03 बीघा भूमि में से 0.05 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम शमशान हेतु भूमि समर्पित की गई, जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने अपने आदेश क्रमांक 2695 दिनांक 21.06.2011 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में से 00.05 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में नामान्तकरण पारित कर प्रार्थीगण के खेत के सेढे पर बरंग लाल रंद से दर्शाई अनुसार भूमि के लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का ने संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन न कर उक्त समर्पित खसरा संख्या 750 / 565 की खसरा संख्या 729 / 565 के सेढे पर तरमीम नही कर गलत स्थान पर खसरा संख्या 731 / 565 के सेढे पर तरतीम कर दी गई, जो गलत तरमीम है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक भू.अ. / 21 / 1820 दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा प्रभूओणी मालियों का वास के खसरा संख्या 730 / रकबा 05.03 बीघा भूमि में से 0.05 बीघा भूमि आदेश क्रमांक 2695 दिनांक 21.06.2011 द्वारा समर्पण स्वीकृत होने से खातेदार गेनाराम पुत्र प्रभूराम जाति माली सा. देह खातेदार के नाम नामान्तकरण संख्या 153 स्वीकृत कर दिनांक 03.09.2011 द्वारा खसरा संख्या 750 / 565 रकबा 0.05 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की गई तथा समर्पण भूमि प्रस्ताव के संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित भूमि की तरमीम दिशा–भ्रम होने से गलत जगह अंकित कर दी गई, जो वर्तमान में नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित है। उक्त भूमि का श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के आदेश क्रमांक प.12(3)(245) राज / 2011 / 26 दिनांक 03.01.2012 द्वारा भूमि हेतु आरक्षित रखने से

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

नामान्तकरण संख्या 161 द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने संलग्न नक्शा अनुसार बरंग हरा से दर्शाये अनुसार भूमि की तरमीम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार मण्डल कुडला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 730 / 565 रकबा 04.18 बीघा तथा खसरा संख्या 750 / 565 रकबा 0.05 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम दिशा भ्रम होने से अशुद्ध की गई है, जिसे निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार मण्डल कुडला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 730 / 565 रकबा 04.18 बीघा तथा खसरा संख्या 750 / 565 रकबा 0.05 बीघा भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा फर्द मौका व संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये बरंग हरा अनुसार दुरूस्त की जावे। फर्द मौका के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाडमेर

आदेश आज दिनांक 23.7.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाडमेर